



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 134-2018/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 10, 2018 (SRAVANA 19, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 10 अगस्त, 2018

**संख्या 75/जी.एस.टी.-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), (जिसे इस अधिसूचना में, इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा परिषद् की सिफारिशों पर, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में समग्र आवर्त 1.5 करोड़ रुपए तक है, को ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के लिए ब्यौरों को प्रस्तुत करने के लिए नीचे दी गई विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय, जो नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथा विनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान किए गए हैं, के ब्यौरों को हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 के प्ररूप जीएसटीआर-1 में उक्त सारणी के खाना (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात्:-

सारणी

क्रम संख्या	तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाने हैं	प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत करने की समयावधि
(1)	(2)	(3)
1.	जुलाई-सितंबर, 2018	31 अक्टूबर, 2018
2.	अक्टूबर-दिसंबर, 2018	31 जनवरी, 2019
3.	जनवरी-मार्च, 2019	30 अप्रैल, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2018 से मार्च, 2019 मास के लिए ब्यौरे या विवरणी, जैसी भी स्थिति हो, प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को तत्पश्चात् राजपत्र में अधिसूचित किया जाएगा।

संजीव कौशल,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

(2556)

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 10th August, 2018

**No.75/GST-2.-** In exercise of the powers conferred by section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of upto 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons may furnish the details of outward supply of goods or services or both in FORM GSTR-1 of the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Serial No.	Quarter for which the details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing the details in FORM GSTR-1
(1)	(2)	(3)
1	July - September, 2018	31st October, 2018
2	October - December, 2018	31st January, 2019
3	January - March, 2019	30th April, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under Sub-section (2) of Section 38 and Sub-section (1) of Section 39 of the said Act, for the months of July, 2018 to March, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

SANJEEV KAUSHAL,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.